

न्यायालय – आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, चन्देरी,
जिला अशोकनगर म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 100 / 12
संस्थित दिनांक 03.04.2012

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा पुलिस चंदेरी

विरुद्ध

सुरेश कुशवाह पुत्र वीरन कुशवाह,
उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम प्राणपुर,
थाना चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

//निर्णय//
(आज दिनांक 07.01.2017 को घोषित)

अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया एवं स्पष्टतः अपराध की स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे आवकारी अधिनियम की धारा 34(1) ए के अंतर्गत दण्डनीय अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को अपराधी परीवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आरोपी द्वारा स्वेच्छया उपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे धारा 34(1) ए आवकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा एवं रू0 500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि के अदायगी के व्यतिक्रम में आरोपी को 15 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति 3 लीटर देशी हाथ भट्टी की मंदिरा मूल्यहीन होने से विधिवत नष्ट की जावे।

निर्णय आज दिनांक को टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

न्यायालय — आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, चन्देरी,
जिला अशोकनगर म0प्र0

दां0प्र0क0 — 100 / 12

अपराध किये जाने की दिनांक —08.01.2012

अभियोगी/परिवादी का नाम व पता, — पुलिस थाना चन्देरी

अभियुक्त का नाम पैतृकता और निवास

अभियुक्त :- सुरेश पुत्र वीरन कुशवाह उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम प्राणपुर थाना चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

परिवादित अपराध का विवरण

(i) आपने दिनांक 08.01.2012 को दिन के लगभग 11.05 बजे ग्राम प्राणपुर स्कूल के पास थाना चंदेरी में बिना किसी वैधानिक अनुज्ञप्ति के अपने कब्जे में 3 लीटर हाथ भट्टी की देशी मंदिरा रखे पाये, ऐसा करके आपने आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) ए के तहत दण्डनीय अपराध किया है, तथा मेरे संज्ञान में है।

आसिफ अहमद अब्बासी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
चन्देरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

अभियुक्त का अभिवाक् एवं परीक्षण

आसिफ अहमद अब्बासी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
चन्देरी, जिला अशोकनगर म0प्र0